न्यायालय– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–2, कासगंज।

पीठासीन अधिकारी–अनुतोष कुमार शर्मा (एच0जे0एस0) I.D No-UP6218

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–314/2026

(CNR UPKR01000557-2026)

अजीत पुत्र श्री रामप्रकाश निवासी नगला जौरी मजरा सुन्दरयान कुड़ा शाहपुर थाना कादरचौक, जिला बदायूं।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, जनपद–कासगंज।

2. आदित्य प्रकाश पुत्र श्री रामसहाय निवासी रामगंगा नगर कालौनी, डी ब्लॉक, थाना पिथरीचैनपुर, जिला बरेली।

मु0अ0सं0–246/2021,
धारा–498ए, 306 भारतीय दण्ड संहिता,
थाना–गंजडुण्डवारा, जिला–कासगंज।

06.03.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त अजीत की ओर से मु0अ0सं0–246/2021, अन्तर्गत 498ए, 306 भारतीय दण्ड संहिता, थाना–गंजडुण्डवारा, जिला–कासगंज के मामले में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/वादी मुकदमा आदित्य प्रकाश द्वारा एक तहरीर सम्बन्धित थाने पर दिनांक–26.08.2021 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि प्रार्थी आदित्य प्रकाश निवासी राम गंगा नगर कालोनी डी ब्लाक बरेली ने अपनी पुत्री रिंकी का विवाह लगभग 09 वर्ष पूर्व रीति रिवाज के अनुसार सुनील कुमार पुत्र बाबूराम निवासी रायो गंजडुण्डवारा जिला कासगंज के साथ किया था। शादी के बाद से ही ससुरालीजनों पति सुनील, देवर सचिन, देवर पवन, जेठ रामधनी पुत्रगण बाबूराम, जिठानी मालती देवी पत्नी रामधनी, संगम पत्नी पवन आदि ने उसकी पुत्री को घर से निकालने का प्रयास किया। कई बार पुत्री के साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। उक्त ससुरालीजन उसकी पुत्री को घर से निकालना चाहते हैं। उसने कई बार उक्त लोगों से मिलकर उन्हें समझौने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन उक्त ससुरालीजनों ने अपने व्यवहार में बदलाव नहीं किया और पुत्री के साथ मारपीट जारी रखी। उसकी पुत्री ने पहले भी कोतवाली गंजडुण्डवारा में खुद पर ससुरालीजनों द्वारा किये जा रहे अत्याचार की जनकारी दी थी। आज दिनांक 26 अगस्त 2021 को वह पुनः अपनी पुत्री के ससुरालीजनों को समझाने के लिए जब अपनी पुत्री की ससुराल पहुंचा तो देखा कि उसकी पुत्री फंदे में लटकी हुई है। प्रार्थी ने उसे उतारकर नीचे रखा। उसकी पुत्री को उक्त ससुरालीजनों द्वारा प्रताड़ित करने के कारण उसने आत्म हत्या कर ली। उक्त ससुरालीजन पति सुनील, देवर सचिन, देवर पवन, जेठ रामधनी, जिठानी मालती देवी पत्नी रामधनी, संगम पत्नी पवन आदि के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही कर मुकदमा दर्ज करने की याचना की। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अभियुक्तगण सुनील, सचिन, पवन रामधनी, श्रीमती मालती देवी व श्रीमती संगम के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 246/2021, धारा 498ए, 306 भारतीय दण्ड संहिता पंजीकृत किया गया। विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

3– जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

Digitally signed by ANUTOSH KUMAR SHARMA
Date: 2026.03.26 16:37:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4– अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त गरीब मजदूर भले घर का व्यक्ति है। प्रार्थी/अभियुक्त को वादी मुकदमा द्वारा पुलिस से साज करके उक्त मुकदमा में झूंठा नामित किया गया है। प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही विचाराधीन है और न खारिज हुआ है। संक्षिप्त में अभियोजन कथन इस प्रकार है कि नकल तहरीर हिन्दी वादी सेवा में श्रीमान कोतवाली प्रभारी महोदय कोतवाली गंजडुण्डवारा जनपद कासंगज महोदय निवेदन है कि प्रार्थी आदित्य प्रकाश निवासी राम गंगा नगर कलोनी डी ब्लक बरेली ने अपनी पुत्री रिंकी का विवाह लगभग 9 वर्ष पूर्व हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सुनील कुमार पुत्र बाबूराम निवासी रायों गंजडुण्डवारा जिला कासगंज के साथ हुई थी शादी के बाद से ही ससुरालीजनों पति सुनील, देवर सचिन, देवर पवन, जेठ रामधनी पुत्रगण बाबूराम जिठानी मालती देवी पत्नी रामधनी सगम पत्नी पवन आदि ने मेरी पुत्री को घर से निकालने का प्रयास किया कई बार पुत्री के साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। उक्त ससुरालीन मेरी पुत्री को घर से निकालना चाहते है। प्रार्थी ने कई बार उक्त लोगों से मिलकर उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन उक्त ससुरालीजनों ने अपने व्यवहार में बदलाव नहीं किया और पुत्री के साथ मारपीट जारी रखी। प्रार्थी की पुत्री ने पहले भी कोतवाली गंजडुण्डवारा में खुद पर ससुरालीजनों द्वारा किये जा रहे अत्याचार की जानकारी दी थी। आज दिनाक 26 अगस्त 2021 को प्रार्थी पुनः अपनी पुत्री के ससुरालीजनों को समझाने के लिये वह अपनी पुत्री की ससुराल पहुंचा तो देखा कि प्रार्थी की पुत्री फंदे में लटकी हुई है। प्रार्थी ने उसे उतार कर नीचे रखा प्रार्थी की पुत्री को उक्त ससुरालीजनों द्वारा प्रताडित करने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त ससुरालीजनों पति सुनील, देवर सचिन, देवर पवन, जेठ रामधनी पुत्रगण वाबूराम जिठानी मालती देवी पत्नी रामधनी, संगम पत्नी पवन आदि के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही कर मुकदमा दर्ज करने की कृपा करे। प्रार्थी/अभियुक्त ने उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से थाने पर दर्ज कराई गयी है। जिसका कोई स्पष्टीकरण प्राथमिकी में अंकित नहीं है। पीड़िता द्वारा थाना गंजडुण्डवारा पर ससुरालीजनों के अत्याचार करने की पूर्व में जानकारी दी गयी थी। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का नाम काफी समय बाद सचिन के व्यान धारा 161 सी–आर.पी.सी. के आधार पर विवेचक द्वारा आरोप पत्र में सम्मिलित किया गया है जिसमें कोई सत्यता नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को अपने नाम की जानकारी सचिन के व्यान के आधार पर हुई जिसमें विवेचक द्वारा चार्जशीट दिनांक 17.02.2022 को दाखिल की गयी और माननीय न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया, चार्जशीट पर नाम आने की जानकारी पर प्रार्थी/अभियुक्त माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद पहुंचा, जहां से दिनांक 28.03.2023 को स्टे लेकर आया, जो पत्रावली में दाखिल है जिसे अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दाखिल कराया गया। पूर्व अधिवक्ता द्वारा स्टे समाप्त होने की जानकारी नहीं दी जिस कारण प्रार्थी/अभियुक्त के उपरोक्त मुकदमें में वारंट हो गये और अग्रिम कार्यवाही हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त बाहर मजदूरी करने गया था, जहां अचानक पेट में दर्द हुआ जिसकी जानकारी डाक्टर के यहां जाने पर पित्त में पथरी होना बताया तथा प्रार्थी/अभियुक्त विशेष पथरी होने से परेशान रहा है, अचानक पेट में दर्द होता रहा है, काफी समय तक गर्म पानी पीना पडता है और डाक्टर द्वारा बताई हुई दवाई लेता आया है। बाद में जानकारी हुई कि एक नहीं अन्य भी पथरी भी बताई है। प्रार्थी/अभियुक्त ने जिसका पथरी बने होने बावत व ज्यादा परेशानी बावत अल्ट्रासाउण्ड भी कराया है जिसमें करीब दो पथरी होना है वह भी बड़ी है, डाक्टर ने ऑपरेशन को बोल दिया है। मौके का कोई भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त उसके विरुद्ध माननीय न्यायालय में बनी हुई कार्यवाही से पुलिस द्वारा परेशान कने के बावत स्वयं अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 21.02.2026 को हाजिर हुआ है। सहअभियुक्त की

जमानत माननीय न्यायालय से स्वीकृत हो चुकी है। प्रार्थी दिनांक 21.02.2026 से जिला कारागार कासगंज में निरुद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है और अपनी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान मुकद्दमा उचित जमानत पर रिहा किये जाने की कृपा की जाये।

5– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये है कि अभियुक्त का अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत का घोर विरोध किया जाता है।

6– पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि मृतका रिन्की की शादी सह अभियुक्त सुनील कुमार के साथ लगभग 09 वर्ष पूर्व सम्पन्न हुई थी। सह अभियुक्त की जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। अभियुक्त दिनांक–21.02.2026 से जिला कारागार कासगंज में निरूद्ध है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये गुण–दोष पर पर राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

7– अभियुक्त अजीत के द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त की ओर से अंकन 1,00,000/–(एक लाख) रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है कि–

अभियुक्त जमानत पर अवमुक्त होने के उपरान्त, प्रकरण के वादी पक्ष एवं उनके साक्षीगण को डरायेगा धमकायेगा नहीं तथा न्यायालय को सूचित किये बिना अपने निवास स्थल को परिवर्तित नहीं करेगा।

(अनुतोष कुमार शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–2,
कासगंज।
06.03.2026